न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 73 / 2011
अपील संख्या : 72 / 2012

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. प्रभू गोदपुत्र मनरूपा उर्फ मदरूपा जाति ब्राहम्ण निवासी सरवाना तहसील सांचोर जिला जालोर		1. नरभेराम पुत्र किस्तूरा 2. पुरूषोतम पुत्र किस्तूरा 3. मांगीलाल पुत्र किस्तूरा 4. खेमा पुत्र किस्तूरा 5. रमेश पुत्र किस्तूरा 6. बसन्तलाल पुत्र किस्तूरा 7. मु0 सोनी बेवा किस्तूरा 8. शंकरा पुत्र गमना 9. छगन पुत्र गमना 10. सेंधा पुत्र राजा 11. भूपा पुत्र राजा 12. शांतिलाल पुत्र मोहनलाल जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण सरवाना तहसील सांचोर 13. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार सांचोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री भवानीसिंह राठौड़, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मंगलसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 12
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 14/8/18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 74 / 2007 में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.10.2010 तथा अन्तिम डिक्री 24.11.2011 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। चूंकि दोनों की प्रकरणों में पक्षकार एवं भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

समान होने के कारण समेकित रूप से इस निर्णय के जरिय दोनों ही अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील वादस्थ भूमि का विभाजन कराने का वाद प्रस्तुत किया। जैर अपील वादस्थ भूमि पूर्व में अपीलाण्ट के दादा कुवरा वल्द माला की खातेदारी भूमि थी। कुवरा फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 246 के उक्त भूमि कुवरा के पुत्र गमना, कस्तूरा, मनरूपा व राजा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। अपीलाण्ट मनरूपा का गोदीपुत्र है। इस कारण जैर अपील वादस्थ भूमि में अपीलाण्ट का 1/4 हिस्सा निहित है। मनरूपा द्वारा अपीलाण्ट को गोद लिया गया था, जो गोदनामा रजिस्टर्ड है। मनरूपा की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट्स के पिता द्वारा पटवारी हल्का एवं सरपंच से मिलावट करते हुए मनरूपाजी के वारिशान के तौर पर अपीलाण्ट का नाम इन्द्राज न करवाकर स्वयं का नाम इन्द्राज करवाया दिया। अपीलाण्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 330 दिनांक 14.03.1982 को अपील ग्राम पंचायत सरवाना के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 31.07.1986 को नामान्तरकरण संख्या 330 को खारिज कर पक्षकारों को सुन कर गोदनामा के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया, जो तहसीलदार सांचोर के समक्ष लम्बित है। इन समस्त तथ्यों की रेस्पोडेन्ट को जानकारी होने के बावजूद भी उन्होने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलाण्ट को गमना का जायन्दा पुत्र बताते हुए उक्त भूमि में अपीलाण्ट का 1/9 हिस्सा बताया, जबकि अपीलाण्ट मनरूपा का गोदीपुत्र था, जिस अनुसार अपीलाण्ट के हिस्से में 1/4 हिस्से की भूमि आती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को भी नहीं माना तथा विधि विरूद्ध रूप से तनकीयात का विनिश्चय करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अपीलाण्ट मनरूपा का गोदीपुत्र है तथा गोदनामा उप पंजीयक से पंजीबद्ध है, जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। मनरूपा फौत होने पर जो नामान्तरकरण दायर किया गया, वह अपास्त किया जा चुका है तथा कार्यवाही विचाराधीन है। इस दरम्यान रेस्पोडेन्ट द्वारा विधि विरूद्ध रूप से वाद प्रस्तुत कर जैर अपील निर्णय पारित करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की पुश्तैनी भूमि है। अपीलाण्ट गमना का जायन्दा पुत्र है तथा गमना फौत होने पर अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। जब मनरूपा फौत हुआ, तो उसके फौतेदगी नामान्तरकरण दायर करते वक्त अपीलाण्ट ने कोई गोदनामा बाबत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए तथा न ही ऐसा कोई कथन जाहिर किया। इसके पश्चात राजस्व रेकर्ड में गमना का पुत्र होने के कारण अपना नाम दर्ज करवाते हुए भूमि पर ऋण लिया। इन समस्त तथ्यों

(राजस्व अपील प्राधिकारी पाली)

की जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व से ही रही है। अपीलाण्ट द्वारा मात्र विधि विरूद्ध रूप से अनुतोष हासिल करने की नियत से यह कार्यवाही की गई है। जहां तक गोद का प्रश्न है, तो गोदग्रहिता एवं गोददेता, दोनों की सहमति आवश्यक है। यदि गमना द्वारा अपीलाण्ट को मनरूपा को गोद दिया गया होता, तो मनरूपा के फौत होने पर जो नामान्तरकरण दायर किया गया, उसमें मनरूपा को लाऔलाद फौत बताते हुए गमना अपना नाम दर्ज नहीं करवाता। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, उसमें अपीलाण्ट ने स्वयं को मनरूपा का गोदपुत्र बताया, किन्तु न तो प्रतिदावा प्रस्तुत किया तथा न ही खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा। जो गोदनामा प्रस्तुत किया, उसकी सत्यापित प्रति प्रस्तुत नहीं की तथा न ही असल गोदनामा प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा बतौर स्वतन्त्र साक्ष्य के जो गवाह प्रस्तुत किए, उन्होने जैर अपील वादस्थ भूमि में किस्तूरा के पुत्रों का 1/3 हिस्सा, गमना के पुत्रों का 1/3 हिस्सा तथा राजा के पुत्रों का 1/3 हिस्सा होना जाहिर किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का पृथक पृथक विवेचन करते हुए विनिश्चय किया गया है तथा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई है, जिसमें समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे। विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्ति का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत निस्तारण करते हुए प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 12 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर अपनी संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ग्राम सरवाना के खसरा नम्बर 595, 1391, 1392, 1393, 1402/1562, 1411, 1412, 1413, 1414 व 1404 कुल खसरा 10 जिसका कुल रकबा 28.97 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण संख्या 1 से 7 का 1/3 हिस्सा, वादीगण संख्या 8, 9 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 10 व 11 का 1/3 हिस्सा होना जाहिर किया तथा ही वादी संख्या 12 के हिस्से में 1.29 हैक्टेयर भूमि होना जाहिर करते हुए विभाजन कराने का अनुतोष चाहा। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर स्वयं को मनरूपा का गोदीपुत्र होना बताते हुए जैर अपील वादस्थ भूमि में स्वयं का 1/3 हिस्सा होना जाहिर किया। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में कुल 7 तनकीयात कायम की गई, जो निम्न प्रकार से है –

1. आया वादीगण मौजा सरवाना की आराजी, जिसका वर्णन वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आज से 15 वर्ष पूर्व बहामी व भौतिक तौर से मौके पर बंटवाडा, जिसका विवरण वाद पत्र के अवतरण संख्या 3 के उप अवतरण संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

1 ता 7 में, अंकित है, के अनुसार मौके पर हम पक्षकारान् काश्त काबिज होने व हम वादीगण रिकार्डेड खातेदार होने से बंटवाडा की डिक्री प्राप्त करने के हकदार है ? **जिम्मे वादीगण**

2. आया वादीगण वादपत्र में वर्णित आराजी का बंटवाडा आज से 15 वर्ष पूर्व किया गया है, जिसके अनुसार आज दिन तक वादीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। संलग्न नक्शे के कब्जे काश्त अनुसार प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न स्वयं करें तथा न अन्य किसी से करावें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है ? **जिम्मे वादीगण**
3. आया प्रतिवादी प्रभू स्वर्गीय मदरूपा का गोदपुत्र होने से 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है तथा उक्त हिस्से की बंटवाडा प्राप्त करने का हकदार है ? **जिम्मे प्रतिवादी**
4. आया श्रीमान एस0डी0ओ0 भीनमाल के निर्णय दिनांक 31.07.1986 के विरूद्ध वादीगण ने आज दिन तक कोई अपील नहीं की है, जिससे उपरोक्त आराजी में वादीगण का कोई टाईटल अथवा हक नहीं बनता है ? **जिम्मे प्रतिवादी**
5. आया म्यूटेशन संख्या 330 दिनांक 14.03.1986 श्रीमान एस0डी0ओ0 भीनमाल द्वारा खारिज किया जा चुका है, जिसकी आज दिन तक वादीगण ने कोई अपील पेश नहीं की है, जिससे उपरोक्त आराजी में वादीगण का विधिक हिस्सा पैदा नहीं होता है ? **जिम्मे प्रतिवादीगण**
6. आया प्रतिवादी प्रभू स्वर्गीय मनरूपा का गोदपुत्र होने से उपरोक्त आराजी में 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने प्रतिवादी प्रभू अधिकारी है ? **जिम्मे प्रतिवादी**
7. आया श्रीमान् एस0डी0ओ0 भीनमाल के आदेश दिनांक 31.07.1986 के अनुसार म्यूटेशन की प्रोसिडिंग तहसीलदार सांचोर के समक्ष विचाराधीन होने से वादीगण को वाद बंटवाडा लाने का कोई अधिकार नहीं है ? **जिम्मे प्रतिवादी**

उपरोक्त तनकीयात को अपने पक्ष में साबित करने हेतु रेस्पोडेन्ट /वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 पेश किए तथा मुख्य परीक्षण में गवाह सेन्धाराम, पुंरूषोतम, शांतिलाल व भूरसिंह परीक्षित हुए। अपीलाण्ट की ओर से कोई गवाह मुख्य परीक्षण में परीक्षित नहीं हुआ। प्रकरण में तनकीयात को मात्र राजस्व रेकर्ड के आधार पर विनिश्चित किया गया है। जहां तक प्रश्न उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा नामान्तरकरण अपील संख्या 16/1985 में पारित आदेश दिनांक 31.07.1986 का है, तो इस सम्बन्ध में प्रकरण तहसीलदार सांचोर के समक्ष विचाराधीन होना जाहिर किया है, जिसे किसी भी पक्ष द्वारा स्पष्टतः नकारा नहीं है। उक्त अपील में रजिस्टर्ड गोदनामा प्रभाव में होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 330 पर सरपंच ग्राम पंचायत सरवाना द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 14.03.1982 को अपास्त किया गया था। इस अनुरूप भूमि के राजस्व रेकर्ड की स्थिति नामान्तरकरण संख्या 330 से पूर्व ही बहाल हो चुकी थी, किन्तु राजस्व रेकर्ड में

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

उक्त निर्णय की पालना नहीं किये जाने के कारण वर्तमान प्रविष्ठियां बदस्तूर ही रही। इसका लाभ प्राप्त करते हुए वादीगण द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड के आधार पर विभाजन का अनुतोष चाहा, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वे कामयाब भी रहे। इस प्रकार जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तनकीयात के विनिश्चय का प्रश्न है, तो उक्त समस्त तनकीयात को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड के परिप्रेक्ष्य में विनिश्चित किया है, जो विधि सम्मत नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के आमुख पर आए तथ्यों का विधिक दृष्टिकोण से निस्तारण किया जाना था, जिसमें गोदनामा, नामान्तरकरण अपील आदि ऐसे तथ्य है, जिन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की टिप्पणी अंकित नहीं की है। इन समस्त तथ्यों के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.10.2010 तथा अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.11.2011 को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 74/2007 में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.10.2010 तथा अन्तिम डिक्री 24.11.2011 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के अनुसार प्रकरण में सुनवाई कर पक्षकारान् को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। निर्णय दोहरी प्रतियों में लिखवाया गया, जो पृथक पृथक पत्रावली में नत्थी किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर